संख्या–क0नि0–4–778 /11–13–30(8)/2011

प्रेषक,

एस0एन0प्रसाद,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांकः 16 जुलाई, 2013

विषयः–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के सन्दर्भ में कार्यालय वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0 के लिपिकीय संवर्ग के पदो के पदनाम व वेतनमान आदि निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–क0नि0–4–1355/11–2011–30(8)/2011, दिनांक 31.10.2011, शासनादेश संख्या–क0नि0–4–1058/11–2012 30(8)/2011, दिनांक 09.10.2012 के कम में वेतन समिति(2008) की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग के पत्र संख्या–वे0आ0–2–401/दस–54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18 मार्च,2011 एवं पत्र संख्या–वे0आ0–2–2105/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर,2011 के अनुसार लिपिक संवर्ग का संशोधित पुनर्गठन उक्त शासनादेश के आलोक में ऐसे वरिष्ठ सहायक जो पुनर्गठन के पूर्व वेतनमान रू0 4500–7000 के पर पर कार्यरत थे अर्थात कुल 117 वरिष्ठ सहायकों में से 31 वरिष्ठ सहायको को प्रधान सहायक (मुन्सरिम) पदनामित करते हुए वेतन बैण्ड–2 तथा ग्रेड वेतन 4200/– दिनांक 22.12.2011 से संशोधित किए जाने की नीचे अंकित तालिका के अनुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य बेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)	पदों की संख्या	नियुक्ति/पदोन्नति की प्रकिया
1	प्रधान सहायक (मुन्सरिम)	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4200	31	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, वरिष्ठ सहायक के पदों से वरिष्ठता के आधार पर
2	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4600	01	05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर

2. उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारको का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–841/दस–59(एम)2008, दिनांक 24 दिसम्बर,2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3. चूंकि शासनादेश संख्या–क0नि0–4–1058/11–12–30(8)/2012, दिनांक 09.08. 2012 द्वारा एक पद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतन बैण्ड रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में उच्चीकृत किया जा चुका है। अतः उपरोक्तानुसार संशोधन के उपरान्त अब वरिष्ठ सहायक के 85 पद ही अवशेष रह जायेगें।

4. उक्त शासनादेश दिनांक 31.11.2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

4499
17/07/13
N.D-I
निबंधक
17/07/13

5. उपरोक्त सेवा नियमावली में संशोधन कर लिया जाएगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–467/दस–2013, दिनांक 02 जुलाई,2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(एस0एन0प्रसाद)
सचिव।

संख्या–क0नि0–4– (1)/11–2013–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9
4– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
5– कर एवं निबंधन अनुभाग–3
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अनु सचिव।